## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री संजय कुमार उपाध्यक्ष (अधिवक्ता), सी-33 / 116, चन्दुआ छित्तुपुर, वाराणसी।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या | **72 / 11** |
| प्रार्थी की ओर से | **श्री संजय कुमार उपाध्याय , अधिवक्ता।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-72 / 11, दिनांक 28.07.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

**1. क्या स्वैच्छिक पंजीयन लेने मात्र से ही व्यापारी कर दायित्व की सीमा के अन्तर्गत आता है ?**

**2.वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर दायित्व व पंजीयन की सीमा क्या होनी चाहिए ?**

2. फर्म की ओर से श्री संजय कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में लिखे गये तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम के पत्रांक-1421, दिनांक 24.08.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार यदि व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-18 के अन्तर्गत स्वैच्छिक पंजीयन प्राप्त किया जाता है तो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत उसकी समस्त टर्नओवर कर योग्य है चाहे वह करयोग्य सीमा से कम हो या अधिक हो तथा उसकी समस्त खरीद-बिक्री करयोग्य सीमा से कम होने के बाद भी करयोग्य होगी। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पर करदेयता बनेगी तथा टर्नओवर की सीमा लागू नहीं होगी। व्यापारी द्वारा पूछे गये उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में व्यापारी के प्रथम प्रश्न का उत्तर हॉ में दिया गया है अर्थात् स्वैच्छिक पंजीयन लेने मात्र से ही व्यापारी करदायित्व की सीमा में आ जाता है तथा व्यापरी के द्वितीय प्रश्न के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया कि प्रान्तीय खरीद / बिकी करने वाले व्यापारी के लिए रु0 5 लाख वार्षिक एवं आयातित खरीद / बिक्री / केन्द्रीय बिक्री करने पर सभी टर्नओवर करयोग्य सीमा के अन्तर्गत आता है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पंजीयन के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया है तथा व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर है। अत: व्यापारी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 9 दिसम्बर, 2011

ह0 / 09.12.2011

**(चन्द्रभानु)**

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।